(4)

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./2020/199 मुरैना, दिनांक 15.03.2020

आदेश

म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक–36/प्र.स./स्वा./सत्रह/मेडि–तीन, भोपाल दिनांक 15.03.2020 से COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा–निर्देश प्राप्त हुए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी (Pandemic) घोषित कर नियंत्रण के आदेश दिए गए है।

2/– उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के कम में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निम्नवत् आदेश जनहित में दिए जाते है :–

1. सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स को 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखा जावें।
2. जिले की समस्त आंगनवाड़ियॉ भी 31 मार्च, 2020 तक इसी कम में बंद रखी जावें तथा कर्मचारियों की बायो–मेट्रिक उपस्थिति भी 31 मार्च, 2020 तक बंद रखी जावें।
3. आधिकारिक यात्राऐं, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह भी 31 मार्च, 2020 तक स्थगित किए जाते है।
4. जिन समारोह में 20 से अधिक व्यक्तियों के आने की संभावना है, उन पर रोक लगाई जाती है। अपरिहार्य आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन से अनुमति ली जा सकती है।
5. धार्मिक समारोहों को कम से कम किया जावें, इस हेतु धर्म गुरूओं को आगे बढ़ कर सामाजिक व्यक्तियों से आग्रह करने के निर्देश दिए जाते है।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

पृ.क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./2020/199 मुरैना, दिनांक 15.03.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अम्बाह/मुरैना/जौरा/सबलगढ़ की ओर पालनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, मुरैना।
7. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुरैना।
8. समस्त विभाग प्रमुख .... की ओर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु तथा समस्त कर्मचारियों को मुख्यालय पर रखते हुए आपदा से निपटने में सकिय भूमिका निभाने हेतु पालनार्थ।
9. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.